FOR MLIS STUDENTS

Course : - Masters of Library and Information Science

(MLIS)

Paper : - Paper-I

Prepared By: - Aftab Ahmad, Assistant Librarian, Faculty Library Science
School of Library and Information Sciences, Nalanda Open University

Topic: - Intellectual Property Right

बौद्धिक सम्पदा का अधिकार
(Intellectual Property Right)

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

22.0 उद्देश्य (Objectives)

22.1 परिचय (Introduction)

22.2 बौद्धिक सम्पदा का अधिकार (Intellectual Propety Right)

22.3 भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का इतिहास
(History of Intellectual Property Rights in India)

22.4 बौद्धिक सम्पदा के अधिकार की श्रेणीयें
(Categories of Intellectual Propety Rights)

22.5 भारत में बौद्धिक सम्पदा आधारित अधिनियम
(Intellectual Property Based Acts in India)

22.6 अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा संगठन
(World Intellectual Property Orgnization)

22.7 प्राप्यलिप्याधिकार या कॉपीराइट, 1957 (Copyright, 1957)

22.8 एकस्व एवं पेटेन्ट एक्ट, 1970 (Patent Act 1970)

22.9 ट्रेड मार्क (Trade Mark 1999)

22.10 सारांश (Summary)

22.11 मॉडल प्रश्न (Model Questions)

22.12 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

22.0 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा के अधिकार पर प्रकाश डालना एवं इस विषय पर आवश्यक जानकारियें उपलब्ध कराना है । इसमें सर्वप्रथम हम बौद्धिक सम्पदा के अधिकार को पारिभाषित करने का प्रयास करेंगे । हम आज के वर्तमान समाज मे बौद्धिक सम्पदा एवं बौद्धिक सम्पदा के अधिकार की आवश्यकता को समझने का प्रयास करेंगे । तत्पश्चात् बौद्धिक सम्पदा के अधिकार एवं इससे सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों के ऐतिहासिक परिदृश्य पर प्रकाश डालेंगे । बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे एवं उन्हें विभिन्न श्रेणीयों में रखने का प्रयास करेंगे । भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत संसद में पारित किये गये विभिन्न अधिनियमों को सूचीबद्ध करते हुए उनके सम्बन्धित विभागों को दर्शाएंगे । पाठ में हम अर्न्तराष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा संगठन पर विवरण प्रस्तुत करेंगे । तत्पश्चात् प्रतिलिप्याधिकार या कॉपीराइट, एकस्व या पेटेन्ट एवं ट्रेडमार्क पर यथासम्भव आवश्यक जानकारियों को प्रस्तुत करेंगे ।

22.1 परिचय (Introductin)

मनुष्य में आदि काल से ही प्रकृति को समझने एवं उससे सीखते हुए कुछ नया खोजने की प्रवृति रही है । प्राचीन काल में जहाँ आदि मानव प्रकृति (Nature) की मूल सुविधाओं का उपयाग करते हुए जीवनयापन करता था वहीं आज के वर्तमान युग में मनुष्य ने विभिन्न आविष्कारों के माध्यम से समाज के लिए हर प्रकार की सुविधाओं को अर्जित कर लिया है । ये सभी आविष्कार एवं उपलब्धियें किसी व्यक्ति विशेष के निजी प्रयासों अथवा व्यक्तियों के एक चिन्हित समूह के सामूहिक प्रयासों का परिणाम होते हैं । एक व्यक्ति, जो अपने सघन प्रयासों के उपरान्त किसी नये आविष्कार अथवा विचार को उत्पन्न करता है, वास्तव में उस आविष्कार अथवा विचार का मूल श्रेय ही उसी को मिलना चाहिए । किन्तु वर्तमान में ऐसे कई उदाहरण सामने आये है। जहाँ एक व्यक्ति की वास्तविक उपलब्धियों को दूसरे व्यक्ति ने गलत तरीके से अपने नाम के साथ जोड़ा है । बौद्धिक सम्पदा का अधिकार मूलत: इसी तरह की अनियमितताओं पर नियंत्रण करने का एवं समर्थ व्यक्ति को उसके अधिकार प्रदान करने का प्रयास करता है ।

22.2 बौद्धिक सम्पदा का अधिकार (Intellectual Propety Right)

बौद्धिक सम्पदा अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी वस्तु अथवा विचार के निर्माता को उसे वस्तु अथवा के विचार के निर्माण का सम्पूर्ण श्रेय प्रदान करता है । एक सामाजिक दृष्टिकोण से बौद्धिक सम्पदा का अधिकार एक निर्माता के व्यक्तिगत हितों की रक्षा इस प्रकार से करता है कि निर्माता द्वारा निर्मित की गयी वस्तुओं एवं समाज के विभिनन व्यक्तियों के द्वारा उन वस्तुओं के उपयोग से सम्बन्धित सूचनाओं में अधिकारों की भिन्नता रखते हुए निर्माता को उसके निर्माण का श्रेय देते हुए विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित करता है । किसी सूचना के उत्पादक के उस सूचना के उत्पादन के पश्चात् वह सूचना विभिनन उपयोगकर्ताओं के द्वारा अलग–अलग समय में आपस में बांटते हुए प्रयुक्त की जाती है । ऐसी

स्थिति में विभिन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त सूचना का उत्पादक किसी भी तरह से अपने उत्पादक के स्वरूप में प्राप्त अधिकारों से वंचित न हो जाये और उपयोगकर्ताओं एवं उत्पादक में अधिकारों के संबंध में प्रर्याप्त भिन्नता सुस्पष्ट रहे । आज हमारे समाज में विभिन्न सुविधाओं एवं उत्पदों के निर्माण के पीछे गहन चिन्तन एवं शोध के गम्भीर प्रयास सम्मलित होते हैं । इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त परिणाम अथवा उत्पाद अन्य दूसरे व्यक्तियों के द्वारा भिन्न–भिन्न तरीके से प्रयोग में लाया जाता है और कई बार ये दूसरे लो उन उत्पादों के नवीन स्वरूपों में परिवर्तित कर, अथवा उनके आधार पर अन्य परिष्कृत उत्पाद तैयार कर उसका सम्पूर्ण श्रेय स्वयं लेने का प्रयास करते हैं । इस तरह से मूलरूप से एक व्यक्ति/खोजकर्ता के द्वारा विकसित अथवा निर्मित एक उत्पाद का व्यवसायिक एवं वित्तीय लाभ दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिना खोजकर्ता को श्रेय दिये लिया जा सकता है । बौद्धिक सम्पदा अधिकार इसी तरह के कृत्यों से खोजकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है एवं खोजकर्ताओं को उनके द्वारा की गयी खोज का श्रेय देने के साथ–साथ उनके वित्तीय एवं व्यवसायिक अधिकारों को भी संरक्षित करता है ।

बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत आने वाले मुख्य तत्व प्रतिलिप्याधिकार या कॉपीराइट एवं इसी तरह के अन्य अधिकार जैसे ट्रेड मार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, पेटेन्टस, एकीकृत परिपथ के ले–आउट डिजाइन (Layout Design of Integrated Circuits) आदि हैं ।

किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के मस्तिष्क (मानसिक प्रयासों से) की सृजनात्मक खोज के आधार पर उसे अथवा उन्हें प्रदान किया गया अधिकार ही बौद्धिक सम्पदा का अधिकार कहलाता है । बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्गत मस्तिष्क के विभिन्न सृजनात्मक प्रयासों के माध्यम से की गयी खोज, साहित्य तथा कलात्मक कार्यों एवं व्यवसाय में प्रयुक्त किये गये नाम, चित्र एवं डिजाइन आदि आते हैं ।

22.3 भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का इतिहास (History of Intellectual Property Rights in India)

भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का पहला मामला वर्ष 1856 में प्रकाश में तब आया जब जॉर्ज अलफ्रेड डे पेनिंग ने अपना पेटेन्ट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । बाद में उन्हें प्रदान किया गया पेटेन्ट भारत के बौद्धक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत प्रदत्त प्रथम पेटेन्ट के रूप में जाना गया । बौद्धिक सम्पदा के अधिकर के अन्तर्गत आने वाले प्रतिलिप्याधिकार (Copyright) का इतिहास भारत में सर्वाधिक पुराना है । यह अधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के दौरा सन् 1847 में लागू किया गया । उस समय के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पुस्तक उसके लेखक के सम्पूर्ण जीवनकाल एवं उकी मृत्यु के सात वर्षों तक कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत नियंत्रित होती थी । वर्ष 1914 में भारतीय संसद में नया कॉपीराटट एक्ट पास किया, जो कि मुख्य रूप से यूनाइटेड किंग्डम के सन् 1911 के कॉपीराइट एक्ट के लगभग अनुरूप था । इसके पश्चात् स्वतंत्र भारत में सन 1958 में नया कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया ।

पेटेन्ट के दृष्टिकोण से भारत मे सन 1856 में अधिनियम पास हुआ जो कि सन 1883 में संसोधित किया गया । तत्पश्चात् सन् 1911 में भारती पेटेन्ट एवं डिजाइन एक्ट ने इसका स्थान दिया ।

यह अधिनियम वर्ष 1920, 1930 व वर्ष 1945 में पुनःसंशोधित किया गया । स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने वर्ष 1949 में लाहौर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायधीश डॉ० बख्शी टेक चन्द की अध्यक्षता में पेटेन्ट अधिनियम की समीक्षा हेतु एक समिति बनाई। जिसके पश्चात् वर्ष 1950 मे इस अधिनियम में परिवर्तन किये गये । बाद में समय–समय पर आवश्यकता के अनुरूप इसमे बदलाव किये गये । भारत में ट्रेडमार्क पर वर्ष 1940 के पूर्व तक कोई भी औपचारिक कानून नहीं था ।

22.4 बौद्धिक सम्पदा के अधिकार की श्रेणीयें (Categories of Intellectual Propety Rights)

सामान्य तौर पर बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत औद्योगिक सम्पदा एवं प्राप्तलिप्याधिकार आते हैं । किन्तु इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे अधिकार है जिन्हें सैद्धांतिक तौर पर इसमें सम्मलित किया गया है । बौद्धिक सम्पदा के अधिकार में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित अधिकारों को समाहित किया जाता है–

- साहित्यक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक कार्य
- एक कलाकार का प्रदर्शन
- मुनष्य के विभिन्न प्रयास क्षेत्रों में किये गये आविष्कार
- वैज्ञानिक खोज
- औद्योगिक डिजाइन
- ट्रेड मार्क या व्यापार चिन्ह एवं सेवा चिन्ह इत्यादि

बौद्धिक सम्पदा के अधिकार से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं के आधार पर बौद्धिक सम्पदा के अधिकार को निम्नलिखित श्रेणीयों में बॉटा जा सकता है–

1. बौद्धिक सम्पदा का अधिकार जो किसी आविष्कार एवं सृजनात्मक गतिविधियों के आधार पर प्रदान किया जाता हो । इसके अन्तर्गत पेटेन्ट, औद्योगिक डिजाइन, प्रतिलिप्याधिकार, पादप प्रजनक का अधिकार, एकीकृत परिपथ का ले–आउट या खाका डिजाइन इत्यादि आते हैं ।
2. बौद्धिक सम्पदा के वे सभी अधिकार जो किसी उपभोक्ता को सूचना प्रदान करते हैं । इसके अन्तर्गत ट्रेड मार्क एवं भौगोलिक संकेत आते हैं ।

22.5 भारत में बौद्धिक सम्पदा आधारित अधिनियम (Intellectual Property Based Acts in India)

भारत सरकार के अलग–अलग विभागों ने बौद्धिक सम्पदा आधारित विभिन्न अधिनियम समय–समय पर लागू किये, इनमें से प्रमुख कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित हैं–

कॉपीटाइट एक्ट, 1957	उच्च शिक्षा विभाग
(1983, 1984, 1992, 1994, 1999 में सशोधित)	
पेटेन्ट एक्ट, 1970	औद्योगिक नीति एवं सम्वर्धन विभाग
(1999 में संशोधित)	
डिजाइन एक्ट, 2000	औद्योगिक नीति एवं सम्वर्धन विभाग
ट्रेड मार्क एक्ट, 1990	औद्योगिक नीति एवं सम्वर्धन विभाग
Geographical Indication of Goods (REgistration and Protection) Act, 1999	औद्योगिक नीति एवं सम्वर्धन विभाग
SEmi-conductor Integrated Circuits-Layout Design Act, 2000	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
Protection of Plant Varieties and-Formers Rights Act, 2001	कृषि एवं सहकारित विभाग
Competion Act, 2002	कार्पोरेट सम्बन्धित मामलो का विभाग
Biological Diversity Act, 2002	पर्यावरण एवं वन विभाग
Intellectual Propety Rights (Imported Goods) Rules, 2007	

22.6 अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा संगठन (World Intellectual Property Orgnization)

अर्न्तराष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यू० आई० पी० ओ०) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी विशिष्ट सस्था है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में कार्य कर रही है । इस संस्था की स्थापना हेतु वर्ष 1967 में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सदस्य राष्ट्रों में स्टॉकहोम में "Convention Establishing the World Intellectual Property Organization" पर हस्ताक्षर किये, जिसे वर्ष 1970 में लागू किया गया । इस संस्था को पूर्व में फ्रेंच नाम BIRPI एव इसके अंग्रेजी नाम Bureux for the Protection of Intellectual Property से जाना जाता था एव इसक मुख्यालय Berne में था । इसके मुख्यालय को वर्ष 1960 में Berne से Geneva से स्थानातरित कर दिया गया । इस संस्था को इसकी आम सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार नियुक्त किये गये महानिदेशक के द्वारा संचालित किया जाता है ।

कोई भी राष्ट्र जो पूर्व से ही किसी सघ का सदस्य हो, इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकता है । यदि इच्छुक राष्ट्र किसी संघ का सदस्य नही है, तो ऐसी स्थिति में वह संयुक्त राष्ट्र संघ का अथवा उसकी किसी विशेषा संस्था का अथवा आई० पी० ए० का सदस्य हो या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाल के प्रावधानों के अनुसार एक पक्ष हो अथवा डब्ल्यू० आई० पी० ओ० की आम सभी की ओर से आमंत्रित किया गया हो, को सदस्यता प्रदान की जा सकती है अतः इससे स्पष्ट है कि केवल सम्प्रभुता संपन्न राष्ट्र की डब्ल्यू० आई० पी० ओ० के सदस्य बन सकते है ।

22.7 प्राप्यलिप्याधिकार या कॉपीराइट, 1957 (Copyright, 1957)

कॉपीराइट किसी लेखक के मूल कार्य, जिसमें कि उसकी प्रतिलिपि बनाने, वितरण करने एव सम्मलित करने के अधिकार शामिल हैं आदि से सम्बद्ध विभिन्न विशिष्ट अधिकारों का समूह है । किसी भी कार्य के सन्दर्भ मे उसका कॉपीराइट एक निश्चित समय तक ही रहता है, जिसके पश्चात् वह कार्य सार्वजनिक ज्ञान क्षेत्र के अन्तर्गत जाना जाता है । कॉपीराइट एक्ट विचारो की अभिव्यक्ति से सम्बन्धित संरक्षण प्रदान करता है । यह विचारो को संरक्षित नहीं करता । उदाहरण के तौर पर पुस्तकालय विज्ञान पर कई लेखकों ने पाठ्य पुस्तकें लिखी है, जो अलग–अलग क्षेत्रों जैसे सूचीकरण, वर्गीकरण, प्रबंधन, सन्दर्भ सेवा आदि से सम्बन्धित ज्ञान को प्रस्तुत करती हैं । इन सभी विषयों क्षेत्रों को कई पुस्तकों क स्वरूप में अलग–अलग लेखकों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, और साथ ही उन सभी लेखकें को अपने द्वारा लिखी गयई पुस्तकों का कॉपीराइट अधिकार प्राप्त होगा बर्शते उस लेखक के द्वारा लिखी गयी पुस्तक किसी पूर्व मे लिखी गयी पुस्तक की प्रतिलिपि अथवा कॉपी न हो । कॉपीराइट के माध्यम से लेखकें के अधिकारों को अधिक से अधिक सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है ।

भारत में कॉपीराइट संरक्षण हेतु समय–समय पर अलग–अलग अधिनियम एवं नियम पारित किये गये । जिनमें वर्ष 1957 पारित किया गया कॉपीराइट एक्ट, 1958 का कॉपीराइट नियम (Copyright Rules) एवं 1999 का International Copyright Order प्रमुख हैं । स्वतंत्रता के पूर्व भारत में इस तरह के मामलों को वर्ष 1914 के कॉपीराइट एक्ट, जो कि ब्रिटिश कॉपीराइट एक्ट (1911) का ही विस्तार था, के द्वारा नियंत्रित किया जाता था । भारत के The Copyright Act, 1957 में 79 अनुभाग मुख्यत: 15 अध्यायों के अन्तर्गत हैं । वहीं Copyright Rules, 1958 में 28 नियम 9 अध्यायों एवं 2 अनुसूचीयों के अन्तर्गत हैं ।

22.7.1 कॉपीराइट एक्ट की विभिन्न शर्तें (Terms of Copyright Act)

भारत का कॉपीराइट एक्ट किसी भी व्यक्ति को कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत संरक्षित एक पुस्तक के बिना लाइसेन्स प्राप्त किये या अनुमति लिये उचित उपयोग (Fair Use) की अनुमति देता है । इस Fair Use के अन्तर्गत एक पुस्तक अथवा उसके अन्दर संग्रहित सूचनाओं का प्रयोग शोध, समीक्षा, आलोचना एवं शिक्षा हेतु किया जा सकता है ।

कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत संरक्षित किसी पुस्तक पर यह एक्ट निम्न प्रकार से प्रभावी होता है–

1. यदि पुस्तक किसी लेखक के द्वारा लिखी गयी है एवं उसकी मृत्यु के पहले प्रकाशित की जाती है, तब वह पुस्तक उस लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत संरक्षित रहेगी ।
2. यदि पुस्तक किसी लेखक के लिखी गई है एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रकाशित हुई है, तब वह पुस्तक अपने प्रकाशन के 60 वर्ष तक कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत संरक्षित रहेगी ।
3. यदि पुस्तक किसी संस्थान अथवा संगठन के द्वारा प्रकाशित की गयी हे, तब वह पुस्तक अपने प्रकाशन के 60 वर्ष तक कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत संरक्षित रहेगी ।

इन सभी परिस्थितियों में कॉपीराइट एक्ट के अनुसार संरक्षित रहने की सीमा समापत होने के पश्चात् वह पुस्तक या प्रलेख सार्वजनिक ज्ञान क्षेत्र में आ जायेगा एवं उस पर कॉपीराइट एक्ट का प्रभाव नहीं रहेगा ।

किसी भी व्यक्ति के द्वारा कॉपीराइट एक्ट की किसी भी तरह से अवहेलना करने अथवा उलंघन करने की स्थिति में यह एक्ट विभिन्न प्रकार के दण्ड का प्रावधान भी प्रस्तुत करता है ।

22.8 एकस्व एवं पेटेन्ट एक्ट, 1970 (Patent Act 1970)

एकस्व या पेटेन्ट एक आविष्कारक एवं राज्य के बीच का यह अनुबंध है जिसमें अविष्कारक या प्रार्थी को अपने आविष्कार से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने के बदले में राज्य के द्वारा एक निश्चित समयान्तराल के लिए एकाधिकार प्राप्त हो जाता है । एकस्व अथवा पेटेन्ट की इस व्यवस्था को निर्धारित करने का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न प्रकार के नवीन आविष्कारों से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं के अलग–अलग तकनीकी, आर्थिक एवं विकास कार्यों हेतु सार्वजनिक प्रयाग को प्रोत्साहित करना एवं गोपनीयता को समाप्त करने का प्रया करना है ।

22.8.1 एक्स्व या पेटेन्ट की अवधि (Term of Patent)

सामान्यतः राज्य द्वारा प्रदान किये गये किसी पेटेन्ट की समय सीमा 20 वर्ष होती है । किन्तु यह अधिकार 20 वर्षों तक तभी जारी रहता है जब प्रार्थी के द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्त में उक्त पेटेन्ट से सम्बन्धित रख–रखाव शुल्क समय से जमा करा दिया जाये ।

22.8.2 एकस्व या पेटेन्ट का हस्तान्तरण (Transfer of Patent Rights)

किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा पेटेन्ट प्राप्त हो जाने पर उसको इस बात का इकलौता अधिकार होता है कि वह उसे अपने अनुसार प्रयोग करे अथवा उस शोध को एक निश्चित समयान्तराल के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बेच दे ।

22.8.3 भारत में पेटेन्ट व्यवस्था (Patent System in India)

भारत में पेटेन्ट व्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति वं सम्वर्द्धन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत Controller General of Patents, Designs, Trademarks and Geographical Indications के द्वारा सम्पादित किया जाता है । वर्तमान में भारत में चार पेटेन्ट कार्यालय कार्यरत हैं जिनमें से प्रधान कार्यालय कोलकाता में एवं अन्य कार्यालय दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई में अवस्थित है । इनके अतिरिक्त नागपुर में Patent Information System (PIS) राष्ट्र के विभिन्न पेटेन्ट का डेटाबेस है ।

22.8.4 पेटेन्ट हेतु आवेदन प्रक्रिया (Application Procedure for Patent)

भारत में किसी अविष्कार के बदल में पेटेन्ट अधिकार प्राप्त करने हेतु E-filing प्रक्रिया शुरू की गयी है । जिसमें कोई व्यक्ति पेटेन्ट के ई–पेटेन्ट पोर्टल (http://www.ipindia.gov.in) पर जाकर अपने पेटेन्ट के मूल आवेदन को विभिन्न दस्तावेजों के साथ संलग्न करते हुए सारी प्रक्रियाओं को दिये गये

निर्देशों के अनुसार पूरा करते हुए भेज सकता है । पेटेन्ट से सम्बन्धित विभन्न प्रकार के शुल्कों को आवश्यकता अनुरूप ई–फाइलिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत ही जमा कर सकता है । सरी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् आवेदक अपने प्रार्थना पत्र की पावती का भी प्रिन्ट ले कसता है । पेटेन्ट से सम्बनिधत विभिन्न प्रकार के शुल्कों का प्रावधान एक्ट में किया गया है । जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेटेन्ट का आवदेन शुल्क रु० 1000/- है ।

22.9 ट्रेड मार्क (Trade Mark 1999)

आम आदमी की भाषा में ट्रेड मार्क को ब्राण्ड अथवा Brand Name भी कहते हैं । यह एक प्रतीक चिन्ह होता है, जो एक हस्ताक्षर, नाम, युक्ति, लेबल, अंक अथवा रंगों का समूह भी हो सकता है । यह एक व्यापारिक प्रतिष्ठान अथवा संगठन के द्वारा अपने व्यवसायिक उत्पदों अथवा सेवाओं को एक अलग पहचान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।

इस तरह के प्रतीक चिन्ह विशिष्ट रेखांकन के द्वारा अपनी पहचान बनाते है एवं दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के समान उत्पदों से भिन्नता चिन्हित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । एक ट्रेड मार्क में मुख्यतः दो विशेषतायें होनी चाहिए, प्रथम कि वह विशिष्ट हो तथा द्वितीय कि वह वाणिज्य में प्रयुकत होता हो ।

22.9.1 ट्रेड मार्क के प्रकार (Types of Trademark)

- Trademark
- Service Mark
- Collective Mark
- Certification Mark

22.9.2 ट्रेड मार्क के कार्य (Functions of Trademark)

ट्रेड मार्क मुख्यतः चार प्रकार के कार्यों को सम्पादित करता है–

1. यह एक सामग्री/माल की पहचान स्पष्ट करता है एवं उसकी उत्पत्ति इंगित करता है ।
2. यह उक्त उत्पाद/माल की निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी देता है ।
3. यह उक्त उत्पाद/माल के प्रचार को सुनिश्चित करता है ।
4. यह उक्त उत्पाद/माल की ख्याति का परिचायक है ।

22.9.3 भारत ट्रेड मार्क कार्यालय (Types of Trademark)

भारत में ट्रेड मार्क आवंटन एवं उनके नियंत्रण हेतु पॉच Trademarks Registry के कार्यालय मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चेन्नई में स्थापित किये गये हैं । इनमें से मुम्बई का कार्यालय मुख्य कार्यालय के रूप में कार्य करता है ।

22.10 सारांश (Summing-Up)

इस पाठ में हमने बौद्धिक सम्पदा के अधिकार को पारिभाषित करते हुए समझने का प्रयास किया । हमने बौद्धिक सम्पदा के अधिकार की आवश्यकताओं पर चर्चा की । बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को चिन्हीत करते हुए उन्हें विभिन्न श्रेणीयों में बाँटा । भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत संसद में पारित किये गये विभिन्न अधिनियमों को सूचीबद्ध किया । अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा संगठन पर प्रकाश डाला । एवं अन्त में प्रतिलिप्याधिकार या कॉपीराइट, एकस्व या पेटेन्ट एवं ट्रेड मार्क पर व्यवहारिक तथ्य प्रस्तुत किये ।